खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
दूरभाषः 01662–255204, मो. 094162 52214, ई.मेल–cfst@hau.ernet.in

---

डॉ. राजबाला ग्रेवाल **क्रमांक :**
निदेशक दिनांक : 25.01.2018

विषय : फल एवं सब्जी प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण।

श्रीमान्/श्रीमती,

आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों के लिए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण पर 20.02.2018 से 27.02.2018 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान 25 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु फल एवं सब्जी उत्पादों के विभिन्न पहलुओं के अलावा उनको बनाने की आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी।

इस प्रशिक्षण में 10+2 पास 18 से 25 वर्षीय युवक–युवतियों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा **'पहले आओ, पहले पाओ'** नीति के आधार पर किया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। जिन प्रशिक्षणार्थियों ने इस विभाग द्वारा आयोजित पहले किसी प्रशिक्षण में भाग लिया हो तो उनके आवेदन मान्य नहीं होंगे।

इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 05.02.2018 से 09.02.2018 तक पहुँच जाने चाहिएं।

विषय विवरण व आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नः उपर्युक्त

(राजबाला ग्रेवाल)

पृष्ठांकन संख्याः एफ.एस.टी/2018/ दिनांक : 25.01.2018

इस पत्र की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः

1. सचिव, कुलपति, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार को कुलपति महोदय की सूचनार्थ।
2. सभी अधिष्ठाता/निदेशक/अधिकारी, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार।
3. संयोजक, सभी कृषि विज्ञान केन्द्र, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार।
4. सभी विभागाध्यक्ष, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार।
5. प्रबन्धक, किसान सेवा केन्द्र, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष, नेहरू पुस्तकालय, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व0, हिसार।
8. उपायुक्त, हिसार।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हिसार।
11. निदेशक, समाज कल्याण विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
12. कृषि निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, सेक्टर 21, कांडी भवन, पंचकूला।
13. जिला रोजगार अधिकारी, हिसार।
14. अध्यक्ष, हरिजन कल्याण निगम, हिसार।
15. सरपंच, ग्राम पंचायत–लुदास, सुलखनी, साहु, नथवाडा, मंगाली घारा, खरकड़ा, मोठ रांग, बालावास, गैबीपुर, हाजमपुर, बीड़, हांसी, जिला व तहसील हिसार । आपसे निवेदन है कि आप अपने गाँव से योग्य उम्मीदवार इस प्रशिक्षण में भेजने की कृपा करें।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण
पर
प्रशिक्षण

(20.02.2018 से 27.02.2018)

खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय

हिसार–125 004

'फल एवं सब्जी प्रसंस्करण' पर प्रशिक्षण

पृष्ठभूमि

अधिकतर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित ग्रामीण परिवार या तो भूमिहीन हैं या सीमान्त किसान है और अपने परिवार के पालन पोषण में असमर्थ हैं। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इस दिशा में उन्हें सहायता कर सकता है। फल व सब्जियां अति शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, खराब होने पर उत्पादक को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते और यदि उत्पादक आधुनिक तरीकों का उपयोग करके फल एवं सब्जियों को मूल्य संवर्धित उत्पाद में परिवर्तित कर दे तो वह इन उत्पादों को काफी समय तक संरक्षित रखने के साथ–साथ अपने उत्पाद की लाभकारी कीमत भी प्राप्त कर सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों को बनाने की नवीनतम तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

उद्देश्य

1. प्रशिक्षणार्थियों को फल व सब्जी उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु सम्बन्धित नवीनतम जानकारी देना।
2. प्रशिक्षणार्थियों को फल व सब्जी उत्पादों से सम्बन्धित स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।
3. प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमी बनाने हेतु प्रेरित करना ताकि वे घरेलू स्तर पर फल व सब्जी उत्पाद सम्बन्धी उद्योग स्थापित कर सकें।

पाठ्यक्रम

विभिन्न प्रकार के फल व सब्जी उत्पाद जैसे जैम, जैली, मार्मलेड, चीज, बार, टॉफी, सॉस, कैच्चप, चटनी, अचार, मुरब्बा, कैंडी, तुरन्त सेव्य पेय, नैक्टर, कार्डियल, स्क्वैश, बारले वाटर, शरबत, फल सब्जियों का डिब्बा बन्दी, बोतलबन्दी व निर्जलीकरण द्वारा परिरक्षण, फल–सब्जी परिरक्षण

संयंत्रों का परिचय, घरेलू स्तर पर उद्योग लगाना व उद्योग लगाने में ऋण सुविधाओं के बारे नवीनतम जानकारी।

प्रशिक्षण निदेशक

डॉ. राजबाला ग्रेवाल, निदेशक, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

प्रशिक्षण संयोजक

डॉ. राकेश गहलोत, प्राध्यापक, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

रजिस्ट्रेशन फीस व यात्रा सम्बन्धी प्रबन्ध

यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षणार्थियों को अपने निवास स्थान से आने व वापिस जाने का किराया तथा विश्वविद्यालय में ठहरने व खाने पीने की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा प्रति प्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय तथा किट भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण की सफलता पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्देश

इस प्रशिक्षण के लिए केवल अनुसूचित जाति के 18 से 25 वर्ष की आयु (20.02.2018 तक) के युवक व युवतियाँ ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता बारहवीं पास होनी चाहिए। इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को अपनी जाति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित गाँव के सरपंच या शहर के नगर पार्षद से सत्यापित करवा कर लाना होगा। आवेदक सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन पत्र 05.02.2018 से 09.02.2018 तक निम्नलिखित कार्यालय में पहुँचा दें। कुल 25 प्रशिक्षणार्थियों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा आयु, योग्यता एवं **'पहले आओ, पहले पाओ'** नीति के आधार पर किया जाएगा।

निदेशक
खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार–125 004
दूरभाष : 01662–255204 (कार्यालय)
मोबाइल : 094162 52214, 094162 52185 **ई.मेल–cfst@hau.ernet.in**

प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र

अतिरिक्त आवेदन हेतु फोटोस्टेट कापी करवा सकते हैं

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण

फोटो

स्थान : खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र,
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
हिसार–125 004

प्रशिक्षण अवधि : 20.02.2018 से 27.02.2018

---

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. जन्म तिथि :
3. आयु (18 से 25 वर्ष 20.02.2018 तक) :
4. जाति :
5. लिंग (स्त्रीलिंग / पुल्लिंग) :
6. पिता / पति का नाम एवं व्यवसाय :
7. शैक्षणिक योग्यता :
8. व्यवसाय :
9. डाक के लिए पूरा पता :
10. दूरभाष :
11. आप यह प्रशिक्षण क्यों लेना चाहते हैं? :
12. क्या इस विभाग द्वारा आयोजित पहले किसी प्रशिक्षण में भाग लिया हैं?

दिनांक : हस्ताक्षर

केवल कार्यालय हेतु

प्रार्थी को उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनुमति दी जाती है / नहीं दी जाती है।

प्रशिक्षण निदेशक